तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२१.११.१६	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल नंबर से कम होकर शुमार फैसल हो, बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। ग.न Sd/ Sarwar

Scanned by CamScanner